

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/35/2015/19/यो 1851
प्रति,

भोपाल दिनांक 02/04/2016

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 56वीं बैठक।


—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 17.12.2015 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 56वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु० लाख में)
1	रायसेन	24/5054	ईटखेड़ी अजीतनगर मार्ग	17.00	3099.52
2	होशंगाबाद	24/5054	ईटारसी दमदम मरोड़ा मार्ग	17.42	4216.33
3	हरदा	24/5054	हण्डिया मांगरूल मार्ग	12.00	2140.20
4	हरदा	24/5054	टिमरनी पोखरनी करताना मार्ग	15.30	2920.41
5	धार	42/5054	मनावर सेमन्दा मार्ग	16.27	3495.44
6	बालाघाट	42/5054	कटेदरा तिरोड़ी खवासा मार्ग	23.21	3951.10
7	नरसिंहपुर	24/5054	लिंगा छीतापार मोरझिर पुरगवां मार्ग	25.68	4595.40
8	बड़वानी	24/5054	नराबला इंदरपुर बालसमुन्द मार्ग	14.63	2621.90
9	बड़वानी	24/5054	दानोद भागसुर मार्ग	10.40	1795.88
10	अलीराजपुर	42/5054	जोबट कदवाल मार्ग	20.02	3418.98
11	झाबुआ	42/5054	मेघनगर मदरानी मोरझिर मार्ग	7.54	1361.32
12	झाबुआ	42/5054	खवासा बाजना मार्ग	10.50	2329.41
13	बुरहानपुर	24/5054	दर्यापुर अम्बाड़ा नेपानगर मार्ग	22.05	4031.77
14	खण्डवा	24/5054	रोशनी अम्बाड़ा सावलीखेड़ा मार्ग	25.37	4633.03
15	इंदौर	24/5054	टिगरिया बादशाह लिम्बोदागिरी मार्ग	9.72	1929.79
16	अशोकनगर	24/5054	पारसोल सिरनी इंदार कदवाया मार्ग	10.75	1890.20

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के योजना के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

PATIL/E.F.C.-A./2016-Later-9


2/4/16

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-16 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा अप्रदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 02/04/2016

पृ0 कमाक एफ-43/35/2015/19/यो 1852
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि.) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
3. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
4. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
5. मुख्य अभियंता (रीवा परि0) लोक निर्माण विभाग रीवा।
6. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल कमांक 6 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/35/2015/19/यो-45

भोपाल दिनांक 5/01/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 56वीं बैठक।


—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 17.12.2015 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 56वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना/सिंहस्थ मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु0 लाख में)
1	डिण्डोरी	42/5054	डिण्डोरी शाहपुर बटौधा दुहनिया विक्रमपुर मार्ग	50.50	2120.68
2	डिण्डोरी	42/5054	राई मालपुर डुंगरिया मार्ग	24.28	1041.10
3	उज्जैन	78	उज्जैन शहर में एम. आर. - 10 मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 3 (उज्जैन देवास रेलखण्ड कि. मी. 4/19-4/21) पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	-	3504.75
4	उज्जैन	78	उज्जैन शहर में एम. आर. - 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 29 (उज्जैन भोपाल रेलखण्ड कि. मी. 57/38-40) पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	-	3604.26
5	उज्जैन	78	उज्जैन शहर में उज्जैन बडनगर मार्ग पर नागदा रेलखण्ड (कि. मी. 51/22-24) पर रेल्वे रेल्वे समपार क्र. 25 एवं उज्जैन फतेहाबाद मीटर गेज रेल खण्ड के समपार क्र. 8 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	-	3918.15
6	उज्जैन	78	उज्जैन शहर में ऋणमुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मंदिर मार्ग के मध्य पुल का निर्माण कार्य	-	1499.47

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 78 सिंहस्थ मद के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

PATIL/NE.F.C.A./Later-218


5.1.16

/2/

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-06 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Chandra Prakash Agrawal
5-1-2016
(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक /01/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/35/2015/19/यो
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (मध्य परि.) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (सेतु परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लो.नि.वि., को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 3 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग